7/12/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम खादरा तहसील नीमकाथाना के हाल खाता संख्या 90 व राजस्व ग्राम खादरा राजस्व ग्राम खादरा के खाता सं0 108 में प्रार्थी का नाम भागीरथ पुत्र बिस्या व भागीरथ पुत्र घीसा दर्ज है जो कि गलत है। क्योंकि प्रार्थी का सही नाम भागीरथ पुत्र बीसा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतियां तथा अन्य आराजीयात की जमाबन्दियां प्रस्तुत की है जिनमें प्रार्थी का नाम भागीरथ पुत्र बीसा दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सहखातेदार शैतानराम पुत्र गुल्ला व मन्नालाल पुत्र माल्या निवासी खादरा के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टी गलत है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात व शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः—

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
खादरा	खाता संख्या 90	भागीरथ पुत्र बिस्या	भागीरथ पुत्र बीसा
नीमोद	खाता संख्या 108	भागीरथ पुत्र घीसा	भागीरथ पुत्र बीसा

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)